International Journal of Information Movement Vol.6 Issue II (June 2021)
Website: www.ijim.in ISSN: 2456-0553 (online) Pages 21-24

वर्तमान हरियाणा में महिला सशक्तिकरण

डॉ० पुष्पा
सहायक प्रवक्ता (इतिहास)
बाबू अनन्त राम जनता
कॉलेज कौल, कैथल (हरियाणा)
Email- drpushpa1980@gmail.com

प्रस्तुत शोध-पत्र में वर्तमान हरियाणा में महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है । आजकल पूरे भारत में व हरियाणा में महिलाओं की स्थिति एक बहुत ही ज्वलंत, चर्चित विषय बना हुआ है । आज हम 21वीं सदी में जी रहे है । एक और तो हम जहाँ चाँद तथा मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की सोच रहे हैं, वहीं हमारे मन में एक संकीर्ण सोच विद्यमान है कि हम किस प्रकार नारी को प्रताड़ित कर सकते है । आज हरियाणा में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारतीय समाज में नारी की दशा बेहद ही शोचनीय हो रही है । नारी को हमेशा निस्हाय, कमजोर, निर्बल समझा गया है । हमेशा उनके साथ समाज में अन्याय किया गया है । यदि हम महिलाओं की स्थिति पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नजर डाले तो हमें पता चलता है, कि प्राचीन कालीन भारत में महिलाओं का बहुत ही सम्मान होता था, उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त था ।

समाज में अक्सर यह धारणा प्रचलित थी, कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते है । जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं । मध्यकाल में यदि हम महिलाओं की दशा का अध्ययन करें तो पता चलता है कि समाज में महिलाओं को गुलाम समझा जाता था । धीरे-धीरे उनकी छवि गिरने लगी । पुरुष वर्ग महिलाओं पर अपनी इच्छा मनवाने का दबाव बनाने लगे । उन्हें घर की चार-दिवारी में कैद किया जाने लगा । समाज में बाल-विवाह, बहु-विवाह, कन्या-वध, सती-प्रथा, दास-प्रथा इत्यादि सामाजिक कुरीतियों ने जन्म लिया । बेटी का जन्म लेना परिवार में किसी अभिशाप से कम नहीं होता था और बेटे का जन्म होना किसी जश्न से कम नहीं होता था, मुगल काल के बाद ब्रिटिश राज में भी महिलाओं की स्थिति दयनीय ही थी । आधुनिक भारत में महात्मा गाँधी, पंडित जवाहर लाल, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने महिला शिक्षा पर बल दिया । उनको भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भागने पर बल दिया । आज नारी की दशा में काफी सुधार आया है, उनको पुरुषों के समान अधिकार मिलने लगे हैं । आज उन्हें संविधान में लाभ, अधिकार, काम करने की स्वतन्त्रता दी गई है, जिसका

उपयोग पहले पुरुष वर्ग ही करता था । उनको समानता का अधिकार दिया गया है । आज जब हम हरियाणा प्रान्त में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें महिलाओं की दयनीय स्थिति दिखाई देती है । नवम्बर, 1966 को हरियाणा राज्य बना तब यह बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रदेश था । यहाँ विकास की संभावनाएं न के बराबर थी । आज हरियाणा की युवा-शक्ति नशे की आदि हो चुकी है । पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चरम सीमा पर है । हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। समाज में भाई-चारा, संस्कृति, संस्कार बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं । हरियाणा में यदि नारी की वास्तविक स्थिति का चित्रण करे तो बहुत ही शोचनीय है । आये दिन हम अखबारों, टी० वी० चैनलों पर महिलाओं की स्थिति देखते है । युवाओं द्वारा अश्लील हरकते, चलती हुई लड़कियों पर तेजाब डालना, गैंगरेप बहुत ही ज्वलंतशील व दर्दनाक घटनाएं है । जो महिलाओं/लड़कियों की इच्छा शक्ति को कमजोर कर रही है । ऐसी घटनाएं उनके मनोबल को तोड़ती है । उनके विकास में ये घटनाएं बहुत ही बाधक है । जब हम हरियाणा में ऐसी असांस्कृतिक/घटनाएं देखते हैं तो हम अपने आप को ठगा हुआ-सा प्रतीत महसूस करते हैं । जिस हरियाणा के लोग अपनी महिलाओं का इतना सम्मान करते थे, आज उनकी महिलाएं उतनी ही प्रताड़ित हो रही है । आज हरियाणा में नारी की दुर्दशा बेहद ही चिन्तन का विषय बन चुकी है ।

लेकिन वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में नारी शक्ति ने अपनी शक्ति का लोहा भी खूब मनवाया है । उन्होंने नये कीर्तिमान स्थापित कर यह साबित कर दिया है कि वो पुरुषों से कम नहीं है। जो कार्य पुरुषों के लिए भी असम्भव प्रतीत होते हैं, वहीं महिलाओं ने सिद्ध कर दिखाए है । हरियाणा राज्य की अनेक महिलाओं ने पुरुषों के एकाधिकार वाले अभेध दुर्गो पर विजय प्राप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है । खवाबों को हकीकत में बदलकर महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि "जमाना इनसे है, ये जमाने से नहीं ।" जैसे अन्तरिक्ष में अन्तरिक्ष परी के नाम से सुविख्यात करनाल की कल्पना चावला ने नारी अस्तित्व के नए आयाम स्थापित किए है । उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं भी कठिन कार्य को कर सकती है। अम्बाला की सुप्रसिद्ध नेता सुषमा स्वराज किसी परिचय की मोहताज नहीं है । यदि महिलाएं चाहें तो वाकपटुता, दक्षता व कार्यकुशलता से पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र राजनीति में अपनी धाक जमा सकती है । गीता फोगाट, बबीता फोगाट (भिवानी), साक्षी मलिक ने पहलवानी के क्षेत्र में सेंध लगाकर महिलाओं की शक्ति का लोहा मनवा दिया है । मल्लिका शेरावत (रोहतक) ने फिल्मी जगत में साबित कर दिया है कि हरियाणा की महिला अब घुंघट में लिपटी हुई व सहमी सी गुड़िया नहीं है । यमुनानगर की कर्णम् मल्लेश्वरी ने 2000 में सिड़नी में नारी को

कमजोर समझने वाली बात को गलत सिद्ध किया है और अपनी प्रतिभा का लोहा पुरे विश्व पटल पर मनवाया है ।

अर्जुन अवार्ड व भीम अवार्ड से सम्मानित रोहतक की ममता खरब ने अपनी हॉकी से प्रतिद्वन्द्वियों के छक्के छुड़ा कर साबित कर दिया है कि महिलाएं केवल चुल्हा-चौका ही नहीं सम्भालती बल्कि, यदि उसे मैदान में आने का मौका दिया जाएं तो, वे भी फतेह हासिल कर सकती है । मानुषी छिल्लर ने हाल में ही मिस वर्ल्ड का खिताब जीत कर सौन्दर्य जगत में अपनी पहचान स्थापित की । मनु ने 7 मार्च को दो गोल्ड़ दिलाकर सिर्फ 16 वर्ष की आयु में अपनी पहचान स्थापित की । ये वो महिलाएं है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल की । हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही अथक प्रयास किये हैं । हरियाणा सरकार ने 1991 में लड़कियों की हाई स्कूल तक की शिक्षा नि:शुल्क कर दी थी । वहीं 1992 में स्नातक तक लड़कियों की शिक्षा कि शुल्क कर दी गई है । 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए है । हरियाणा राज्य में ग्राम पंचायतों के कुल 54,159 सदस्यों में से 17,928 महिलाएं है । पंचायत समिति के कुल 2418 सदस्यों में से 807 महिलाएं है । जिला परिषद के कुल 303 सदस्यों में से 101 महिलाएं है । जब हरियाणा में भ्रुण हत्या अपराध बढ़ रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत 2015 में हरियाणा के पानीपत से की । ताकि हरियाणा की बेटियों को बचाया जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना भी बेटियों को बचाने के लिए शुरू की गई है । लेकिन सरकार के कानूनों से ही काम नहीं चलेगा और न ही सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीमों से बेटियों को बचाया जा सकता है । यदि हमने बेटियों को बचाना है, तो उनके सम्मान की सुरक्षा करनी है । हम सभी को सकारात्मक सोच पैदा करनी होगी । अपनी संकीर्ण सोच को परिवर्तित करना होगा । नारी को उसके सभी अधिकार देने होंगे । महिलाओं में शक्ति का छुपा हुआ भण्डार है । यदि हरियाणा की महिलाएं अपनी शक्ति को पहचान ले, तो वे विकास के नये आयाम स्थापित कर सकती है । महिलाओं को केवल अधिकार देने से ही महिलाओं का उत्थान नहीं होगा । जब तक स्वयं महिला दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगी । इसके साथ ही समाज को भी महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा । तभी महिलाओं का विकास सम्भव हो सकता है । महिलाओं को घर और बाहर दोनों में सुरक्षित करना है, जिससे उन्हें जागरूक कर शक्तिशाली बनाया जा सकता है । तभी महिला सशक्तिकरण लाया सकता है । महिला सशक्तिकरण के द्वारा हम महिलाओं की प्रगति, विकास व उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं ।

अन्ततः हम देखते हैं कि हरियाणा राज्य में बलात्कार, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, कामकाजी महिलाओं का दोहरा शोषण, पुरुषों की रूढ़िवादी विचारधारा, दहेज प्रथा, भ्रुण हत्या, खाप-पंचायतों के अमानवीय फैसले इत्यादि समस्याएँ साँप की तरह हरियाणा को डस रही है । कुछ एक जिलों को छोड़कर राज्य कर में घटता लिंगानुपात महिलाओं के प्रति जन्मस्तर पर ही शुरू हो जाने वाले हमारे भेदभाव को दर्शाता है । भारत के समस्त राज्यों की तुलना में हरियाणा का लिंगानुपात कम पाया गया है। हरियाणा में भी झज्जर जिला ऐसा है जहां लिंगानुपात सबसे कम है । इसलिए सरकार ने बड़े व्यापक स्तर पर महिलाओं को लेकर कड़े कानून बनाए है । हरियाणा सरकार ने हाल में ही महिला सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनों में महत्त्वपूर्ण बदलाव किया है । 2000 के पुराने चिल्ड्न केयर एंड प्रोटेक्शन बिल को बदलते हुए नये बिल को 2015 में नये स्वरूप में लागू किया । इसे खासतौर पर निर्भया केस को ध्यान में रखकर बनाया गया । इस कानून के अन्तर्गत कोई भी किशोर जिसकी उम्र 16 या 18 वर्ष के बीच है और वह जघन्य अपराध में शामिल है तो उस पर कड़ी से कड़ी से कार्यवाही की जा सकेगी । इस प्रकार हरियाणा-सरकार व्यापक स्तर पर वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयास कर रही है ।

संदर्भ सूची

1. प्रतियोगिता दर्पण, आगरा : उपकार प्रकाशन, अप्रैल, 2003
2. नीरज कुमार, महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली, मार्च 2007
3. डॉ॰ उषा दहिया, "महिला संरक्षण के बावजूद पीड़ित महिलाएँ" निर्मल पब्लिकेशन, 2014
4. प्रतापमल देबपूरा, "महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्त्व" कुरुक्षेत्र, मार्च 2008
5. पत्र-पत्रिकाएं सरिता (लेख)
6. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, भारतीय संस्कृति
7. डॉ॰ प्रज्ञा शर्मा, भारतीय समाज में नारी, पृ॰ 43-47
8. डॉ॰ राजकुमार, पुरुष प्रधान देश में नारी को दुर्गति, प्रतियोगिता दर्पण, मई 2013